



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 16281-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१२

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१२

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. धारा १ का संशोधन.
४. धारा २ का संशोधन.
५. धारा ३ का संशोधन.
६. धारा ४६ का संशोधन.
७. अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१२

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

प्रोद्धारण का संशोधन. २. मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, प्रोद्धारण में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १ में, उपधारा (१) में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (न) में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

६. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

धारा ४६ का संशोधन. (एक) उपधारा (४) में, शब्द “मध्यप्रदेश”, जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (६) में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर, शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की अनुसूची में, शीर्षक में, शब्द “मध्यप्रदेश” के स्थान पर शब्द “नानाजी देशमुख” स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विनिश्चय किया गया है कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का नामकरण विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख के नाम से किया जाए. अतएव, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१२

अजय विश्नोई
भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 4342-238-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 20 OF 2012

**THE MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.**

TABLE OF CONTENTS.

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of Section 1.
4. Amendment of Section 2.
5. Amendment of Section 3.
6. Amendment of Section 46.
7. Amendment of Schedule.

MADHYA PRADESH BILL

No. 20 of 2012

**THE MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012****A Bill to amend the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of citation.

2. In the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009) hereinafter referred to as the principal Act), in the citation, for the words “The Madhya Pradesh”, the words “The Nanaji Deshmukh” shall be substituted.

Amendment of Section 1.

3. In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “The Madhya Pradesh”, the words “the nanaji Deshmukh” shall be substituted.

Amendment of Section 2.

4. In Section 2 of the principal Act, in clause (t), for the words “the Madhya Pradesh”, the words “the Nanaji Deshmukh” shall be substituted.

Amendment of Section 3.

5. In Section 3 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “the Madhya Pradesh”, the words “the Nanaji Deshmukh” shall be substituted.

Amendment of Section 46.

6. In Section 46 of the principal Act,—

(i) in sub-section (4), for the words “the Madhya Pradesh” wherever they occur, the words “the Nanaji Deshmukh” shall be substituted;

(ii) in sub-section (6), for the words “Madhya Pradesh”, the words “the Nanaji Deshmukh” shall be substituted.

Amendment of Schedule.

7. In Schedule to the principal Act, in the heading, for the words “the Madhya Pradesh”, the words “the Nanaji Deshmukh” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided that the Madhya Pradesh Veterinary Sciences University, Jabalpur be named after the eminent social activist, Late Shri Nanaji Deshmukh. Therefore, suitable amendments are proposed in the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009).

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 21st June 2012

AJAY VISHNOI
Member-in-Charge.